सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 329 राँची, बुधवार, 10 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

9 अक्टूबर, 2024

विषयः- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति।

ज्ञापांक:- 08/म०स०/यो०-256/2024-2532--राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभागीय संकल्प संख्या-2214 दिनांक-16.09.2019 द्वारा राज्य अंतर्गत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना संचालित है। योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों को वर्तमान में प्रति लाभुक प्रति माह केन्द्रांश राशि रु० 300/- एवं राज्यांश राशि रु० 700/- अर्थात कुल राशि रु० 1000/- का पेंशन राशि भुगतान किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईमेल, दिनांक-29.08.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों को प्रति माह रु0 500/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश राशि) प्रदान की जायेगी। इस प्रकार योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों को भुगतेय पेंशन राशि में प्रति माह रु0200/- (केन्द्रांश राशि) की बढ़ोतरी होगी। उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों को राज्यांश रु० 700/- एवं केन्द्रांश रु0 500/- अर्थात कुल रु0 1200/- प्रति माह का पेंशन राशि भुगतेय होगा। इस संबंध में योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों को रु० 1200/- प्रति माह का पेंशन राशि भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव राज्य योजना प्राधिकृत समिति को उपलब्ध कराया गया था। राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया-

"राज्य सरकार का संकल्प है कि पेंशन योजना के तहत रु01000/- (एक हजार रूपये) मात्र लाभुकों को दिया जाए। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए।"

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या-2214 दिनांक 16.09.2019 द्वारा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत लाभुकों को रु0 1000/- प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने संबंधी निर्णय निर्गत है। अतः केन्द्रांश राशि में उपरोक्त वृद्धि के दृष्टिगत योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों को दी जाने वाली राज्यांश राशि में प्रति लाभुक प्रति माह रु0 200/- कम करने का प्रस्ताव भी विभागान्तर्गत विचाराधीन था, ताकि योजनामार्गत सभी लाभुकों को एक समान राशि रु० 1000/- प्रति माह का भुगतान किया जा सके।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-2214 दिनांक-16.09.2019 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सभी लाभुकों को (80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों को भी) वर्तमान में भुगतेय पेंशन राशि रु01000/- (एक हजार रू0 मात्र) प्रति माह किया जाता है, जिसमें 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों के लिए केन्द्रांश राशि रूपये 500/- एवं राज्यांश राशि रूपये 500/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है।

4. आर्थिक सहायता राशि हेतु उपबंधित राशि मांग संख्या-60, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष -03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-796/101/789-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के उपयुक्त इकाईयों के अधीन विकलनीय होगा।

5. वर्तमान में योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों की संख्या 216 है। चूँकि योजनान्तर्गत 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभुकों के केन्द्रांश राशि में भारत सरकार द्वारा प्रति लाभुक प्रति माह रु0 200/- की अतिरिक्त वृद्धि की गई है, तथा राज्यांश राशि में उक्त आयु वर्ग के लाभुकों के लिए प्रति लाभुक प्रति माह रु0 200/- की कमी किया गया है। तदनुसार योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजटीय उपबंध में अतिरिक्त वित्तीय भार संभावित नहीं है।

6. विभागीय संकल्प संख्या-2214 दिनांक-16.09.2019 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

7. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.10.2024 की बैठक के मद संख्या-08 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 329 - 50